

09.10.19 अधिवक्ता परिवारिक उपो अधिवक्ता
परिवारिक गण द्वारा बताया गया की लम्बे
समय से वाद पत्र की प्रकल उपलब्ध
नहीं करवाई जा रही है। अधिवक्ता परिवारिक
स्वयं स्वयं वादीगणों को निरन्तर आवाजे
दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अतः वाद
वादीगण अदम दायरी अदम परवी में खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फॉक्सल सुमार होकर नम्बर
से कम है।

निर्णय खुले रजिस्ट्रार सुनाया गया।



सहायक क्लर्क एवं
कार्यपालक दण्ड नायक (फास्ट ट्रेक)
वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज.)